

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in . FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ 1(4)(1)न.पा./रा.नि.आ./14/2292

दिनांक : 09.03.2022

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:-नगरपालिका निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मतदान की स्थिति में मतगणना हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय 3 के नियम 57 से 61 एवं 65 से 73 तक में तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मतगणना हेतु अध्याय 3-क के नियम 46-क, 62-क, 63-ख, एवं 64-क में प्रावधान विहित किए हुए हैं। नगरपालिका निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मतदान होने की स्थिति में उक्त प्रावधानों की पालना एवं मतगणना कार्य के सफल संचालन के लिए आयोग द्वारा उक्त के संबंध में अपने पूर्व आदेश क्रमांक 4249 दिनांक 22.10.2019 को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. सामान्य किन्तु ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु :-

- मतगणना निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए आपको मतगणना का कार्य अत्यधिक सजगता एवं सर्तकता से करना है।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान होने पर मतगणना मतदान केन्द्रवार (बूथवार) होती है। मतगणना दोष-रहित हो और निर्वाचन के परिणाम के बारे में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के मन में कोई भ्रम नहीं रहे। इसके लिये प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी हो और व्यवस्था सही रखी जाये।

2. कानूनी प्रावधान:-

- ऐसे निर्वाचनों में जहाँ मतदान मशीने प्रयुक्त की जाती है, मतगणना सम्बन्धी कानूनी प्रावधान राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय 3 के नियम 57 से 61 एवं 65 से 73 तक में तथा अध्याय 3-क के नियम 46-क, 62-क, 63-ख, एवं 64-क में बताये गये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग ने निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों को डाक मतपत्र जारी करने के संबंध में आदेश क्रमांक एफ 1(4)(1) नपा/रा.नि.आ./14/1418 दिनांक 05.02.2026 तथा डाक मतपत्रों के प्ररूप हेतु आदेश क्रमांक 572 दिनांक 16.01.2026 (सां. आ. 147/2026) भी जारी किये हैं।
- मतगणना के समय और स्थान, गणन अभिकर्ता की नियुक्ति तथा ऐसी नियुक्तियों का निरस्तीकरण (Revocation), गणना के लिये नियत स्थान में प्रवेश मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने, लगातार गणना, पुनः मतदान के पश्चात गणना के पुनः आरम्भ, मतों की पुनर्गणना, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा और निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन के प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधित प्रावधान (नियम 57 से 61, 65 से 73) उसी प्रकार लागू है जैसे वे ऐसे निर्वाचनों की मतगणना के सम्बन्ध में लागू होते हैं, जिनमें मतपत्रों तथा मतपेटियों की पद्धति अपनायी जाती है। डाक-मतपत्रों की गणना से संबंधित नियम 46-क एवं 64-क के उपबंध तथा आयोग के उक्त दोनों आदेश दिनांक 16.01.2026

एवं 05.02.2026 में वर्णित प्रावधान लागू होते हैं। नियम 62-क, 63-क तथा 63-ख गणना के पूर्व मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण, मतदान मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की वास्तविक गणना करने और गणना के पश्चात् मशीनों को सील करने के लिए उपबंध करते हैं।

3. मतगणना की तारीख, स्थान और समय:-

1. मतगणना कार्य नगरपालिका मुख्यालय पर ही किया जाना है।
2. आयोग द्वारा घोषित मतगणना कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए नियम 57 के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी को मतगणना हेतु तिथि, समय एवं स्थान का चयन कर मतगणना कार्य करना है।
3. मतों की गणना एक ही भवन में की जाये। नगर निगमों के मामलों में जहाँ मतदान केन्द्रों की संख्या ज्यादा है, वहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी दो भवनों का भी चयन कर सकते हैं। एक वार्ड की गणना एक कक्ष में एक साथ की जाये। यदि हॉल बड़ा है तो उसे एक से अधिक कक्षों में अस्थाई पार्टीसन से विभाजित कर एक से अधिक वार्डों की मतगणना भी की जा सकती है लेकिन प्रत्येक कक्ष का प्रभारी पृथक सहायक रिटर्निंग अधिकारी हो।
4. गणना की तारीख, समय और स्थान के संबंध में आपको प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में सूचना देनी होगी। यह सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को मतदान की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिये। यदि किसी अपरिहार्य कारण से इस प्रकार नियत तथा अभ्यर्थियों को सूचित की गयी तारीख या समय या स्थान में परिवर्तन होता है, तो आपको ऐसे परिवर्तन की सूचना पुनः प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में देनी चाहिए।
5. यह आवश्यक है कि मतगणना हॉल पर्याप्त बड़े हो जिसमें आपके एवं आपके कार्मिकों, अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए पर्याप्त स्थान हो। वहाँ पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतों की गणना अस्थायी ढाचें में नहीं की जाए। मतगणना भवन के परिसर में सुरक्षा की दोहरी व पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि परिसर में भीड़-भाड़ न हो।

4. गणना करने हेतु टेबिलों की संख्या और उनकी व्यवस्था:-

1. सदस्य चुनाव की मतगणना को दृष्टिगत रखते हुये पहले से ही यह निश्चय कर लें कि प्रत्येक गणना स्थान पर कितनी गणना मेजें रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी बात पर निर्भर करेगा कि आपको कितने गणना पर्यवेक्षकों और कितने गणन सहायकों की नियुक्ति करनी होगी और प्रत्येक अभ्यर्थी कितने गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का हकदार होगा। वार्डों की संख्या और वार्ड में मतदान केन्द्रों की संख्या से यह अवधारित किया जायेगा कि गणना करने हेतु मेजों की संख्या कितनी होगी, जिन पर मतों की गणना एक ही समय पर की जा सके।
2. बड़े वार्डों में जहाँ एक कक्ष में एक से अधिक टेबिल लगायी जाये वहाँ टेबिलों को क्रम संख्यांकित किया जाये। टेबिलों के मध्य गणन पर्यवेक्षकों, गणन सहायकों, अभ्यर्थियों/गणन अभिकर्ताओं को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा जाना चाहिए।
3. वार्ड सदस्यों की मतगणना वाले एक कक्ष में एक से अधिक वार्डों की गणना की जा सकेगी लेकिन एक वार्ड की मतगणना पूरी होने के बाद ही अन्य वार्ड की मतगणना का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। जिस समय जिस वार्ड की मतगणना हो रही हो, उस

दौरान संबंधित वार्ड के अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को ही मतगणना कक्ष में रहने दिया जाये, और जिन वार्डों को मतगणना में लिया जाना शेष है, उनके अभ्यर्थियों/निर्वाचन/गणन अभिकर्ताओं को मतगणना केन्द्र के भवन में ही एक नियत कक्ष में इन्तजार करने हेतु कहा जाये।

5. गणन पर्यवेक्षक/गणन सहायक एवं रिटर्निंग अधिकारी के सहायक:-

- 1.नियम 59 के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी से अनुमोदन से गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक नियुक्त करेगा। एक टेबिल पर एक गणन पर्यवेक्षक और एक गणन सहायक नियुक्त करने है।
- 2.गणन पर्यवेक्षक राजपत्रित या समकक्ष अधिकारियों को रखा जाए, जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों या राज्य सरकार के अधीनस्थ निगमों, मण्डलों, संस्थानों के भी हो सकते है। गणन सहायक हालांकि राजपत्रित स्तर के न हो, लेकिन यथासंभव पर्यवेक्षकीय पदों (Supervisory Post) पर कार्यरत कर्मचारियों के स्तर के हो। किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी से जुड़े हुये व्यक्ति एवं नगर निकाय कार्यालयों के कार्मिकों को गणन पर्यवेक्षक या गणन सहायक नियुक्त नहीं किए जाएं। गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक निष्पक्ष व कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी/अधिकारी होने चाहिए। गणन पर्यवेक्षकों व सहायकों (रिजर्व स्टाफ सहित) को भली-भाँति प्रशिक्षण दिया जाए।
- 3.रिटर्निंग अधिकारी ईवीएम/एसडीएमएम/डीएमएम (यदि मल्टी पोस्ट सिंगल वोट एवं मल्टीपोस्ट मल्टीवोट मशीने उपयोग में ली गई हैं) व अन्य निर्वाचन संबंधी कागजातों को सील करने के लिये भी सहायकों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से करेंगे।

6. गणन अभिकर्ताओं की संख्या व उनकी नियुक्ति:-

- 1.नियम 58 के अनुसार अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के समय उसकी ओर से उपस्थित रहने के लिये गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। गणन अभिकर्ताओं की संख्या गणना के लिये लगायी गयी मेजों, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की मेज भी शामिल है, की संख्या से अधिक नहीं होगी। एक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता वार्ड सदस्य चुनाव में प्ररूप-19 में दो प्रतियों में गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है, जिसकी एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी और दूसरी प्रति मतगणना प्रारम्भ होने से कम से कम एक घण्टा पहले रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष गणन अभिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। एक अभ्यर्थी प्ररूप-19 में एक पत्र पर एक से अधिक अभिकर्ताओं की नियुक्ति भी कर सकता है। अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता जिन व्यक्तियों को गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करें तो ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर ऐसी नियुक्ति की सहमति के रूप में होने आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर गणन अभिकर्ता की सहमति के रूप में नहीं हो तो उसकी नियुक्ति मान्य नहीं होगी।
- 2.मतगणना के प्रारम्भ होने के कम से कम एक घण्टा पूर्व गणन अभिकर्ता प्ररूप-19 की घोषणा पढकर उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा हस्ताक्षरित करने के पश्चात रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेगा अन्यथा मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का निरस्तीकरण (Revocation) वार्ड सदस्य के मामले में प्ररूप-20 के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर किया जा सकता है और किसी गणन-अभिकर्ता को निरस्तीकरण

(Revocation) किये जाने के पश्चात अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता उसकी एवज में अन्य गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है।

3. गणन अभिकर्ताओं, संबंधित अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाये कि गणना कार्य के बीच में गणना कक्ष से जाने नहीं दिया जायेगा और एक बार जाने के पश्चात पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह ध्यान रखा जाए मतगणना कक्ष में अनावश्यक भीड़-भाड़ नहीं हो।
 4. मतगणना के दिन, मतगणना केन्द्र के भवन में गणन अभिकर्ताओं को फोटो युक्त बैज के द्वारा ही प्रवेश दिया जाये। बैज पर बैज संख्या, गणन अभिकर्ता का नाम, अभ्यर्थी का नाम, वार्ड संख्या, या अध्यक्ष चुनाव यथास्थिति, कक्ष नम्बर, तथा आवंटित की गई टेबिल संख्या अंकित की जायेगी। बैज रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील से जारी किए जाएंगे। गणन अभिकर्ताओं को दिये जाने वाले समस्त बैजों का इन्द्राज इस हेतु संधारित रजिस्टर में भी किया जायेगा।
 5. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता को यह सूचित कर देना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को गणन अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया जाना है, उन व्यक्तियों का नियुक्ति पत्र प्ररूप-19 (दो प्रतियों में) जिन पर पासपोर्ट साईज फोटो चिपका हुआ हो रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष मतगणना दिवस से कम से कम दो दिन पूर्व प्रस्तुत कर दिया जाए। रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप-19 में प्रस्तुत किए गए दोनों नियुक्ति पत्रों पर चिपकाए गए फोटो पर गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे तथा अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा ऐसे फोटों को प्रमाणित भी किया जायेगा।
 6. अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी फोटो युक्त बैज दिये जायेंगे।
 7. गणन अभिकर्ताओं के लिये की गई उपरोक्त व्यवस्था के बारे में संबंधित राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पूर्व, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को रिटर्निंग अधिकारी उपरोक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-57 के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना के साथ ही अवगत कराये।
 8. जिला स्तर पर राजनैतिक दलों को उपरोक्त व्यवस्था के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी भी सूचित करेगे।
 9. गणन अभिकर्ता गणना कक्ष में आवंटित की गई टेबिल पर ही बैठ सकेगा अन्य कहीं नहीं। मात्र अभ्यर्थी व उसके निर्वाचन अभिकर्ता को किसी भी टेबिल पर जाने का अधिकार है।
 10. मतगणना कक्ष में जिस समय जिस वार्ड की मतगणना हो रही हो, उस दौरान संबंधित वार्ड के अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को ही मतगणना कक्ष में तत्समय रहने दें, शेष को किसी अन्य कक्ष में इन्तजार करने हेतु उनके बैठने की व्यवस्था भी की जाये।
7. गणना मेजों पर अपेक्षित लेखन सामग्री:-
- प्रत्येक मतगणना मेज पर निम्नलिखित लेखन सामग्री की व्यवस्था करें:-
1. एक नीली स्याही का बॉल-पॉइंट पेन,
 2. सीलों को तोड़कर खोलने के लिए चाकू या ब्लेड,
 3. प्ररूप 14 ग के भाग 1 में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा, (इस प्ररूप के भाग 2 में गणन पर्यवेक्षक द्वारा गणना का परिणाम लिखा जायेगा)
 4. कागज की दो शीटें।

8. गणना कक्ष में अनुशासन:-

गणना कक्ष में धूम्रपान करना पूर्णतः वर्जित रहेगा। नियम 60 के उप नियम-(2) के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतगणना के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के विधि सम्मत् निर्देशों का पालन नहीं करता है या अवचार करता है तो उसे मतगणना कक्ष से बाहर निकाल दिया जायेगा जिसके लिये मतगणना कक्ष के बाहर मौजूद पुलिस अधिकारी की मदद ली जा सकती है। रिटर्निंग अधिकारी को यह आश्वस्त होना है कि मतगणना के दौरान सुव्यवस्थित और अनुशासनात्मक तरीके से मतगणना का कार्य सम्पन्न हो।

9. मतों की गोपनीयता बनाये रखना:-

नियम 61 के प्रावधानों के अनुसार मतगणना के दौरान प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या ऐसा व्यक्ति जो मतगणना या उनके अभिलेखन से संबंधित कोई कार्य करता है, तो उसे मतों की गोपनीयता बनायी रखनी होगी। लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128, जो कि नगरपालिका चुनावों में भी लागू है, के प्रावधानों के बारे में मतगणना प्रारम्भ करने से पूर्व मतगणना कक्ष में सभी उपस्थित व्यक्तियों को समझा दिया जाना चाहिये।

10. मतगणना स्थल में प्रवेश:-

1. नियम 60 के उप नियम-(1) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित मात्र 4 प्रकार के व्यक्तियों को ही मतगणना स्थल में आने की अनुमति देगा:-
 - (क) गणन पर्यवेक्षक और गणन सहायक,
 - (ख) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति,
 - (ग) निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर तैनात लोक-सेवक एवं
 - (घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और प्रति गणन मेज पर एक गणन अभिकर्ता।
2. मतगणना केन्द्र पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी व अधिकारी को, कानून व्यवस्था से संबंधित या अन्य ऐसे ही किसी उद्देश्य के लिये, रिटर्निंग अधिकारी गणना कक्ष में बुला सकता है। सामान्य स्थिति में पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों को गणना कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिये, क्योंकि किसी अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल द्वारा ऐसी शिकायत की जा सकती है कि गणना-कक्ष में अनावश्यक रूप से पुलिसकर्मियों को नियोजित किया गया है।
3. सरकार का कोई भी मंत्री किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता। अतः मतगणना केन्द्र पर किसी मंत्री को, यदि वह अभ्यर्थी नहीं है तो, प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
4. गणना-कक्ष में व्यक्तियों की आवाजाही सुचारु-रूप से रखी जाये ताकि भीड़-भाड़ नहीं हो और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो।

11. डाक द्वारा प्राप्त मतों की गणना:-

1. सर्वप्रथम डाक मतपत्रों की गणना की जानी है। जिस कक्ष में ईवीएम मतगणना कार्य किया जा रहा है, उसी कक्ष में डाक मतपत्रों को गणना में पहले लिया जावे, लेकिन यह ध्यान रखे कि ईवीएम की मतगणना पूरी होने से पूर्व ही डाक मतपत्रों की गणना का कार्य पूर्ण हो जाये।
2. मतगणना प्रारम्भ होने के लिये नियत समय के पश्चात प्राप्त डाक मतपत्र का कोई लिफाफा नहीं खोला जाना चाहिए। उन्हें बिना खोले ही अस्वीकार कर देना चाहिए और अलग से लिफाफे में रखकर सील कर देना चाहिए तथा उस पर समुचित विवरण भी लिख देना चाहिए।

3. डाक मतपत्र दो प्रकार के होंगे:-

(क) निवारक निरोध में नजरबंद व्यक्तियों से प्राप्त डाक मतपत्र :- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 25 के परंतुक के अनुसार निवारक निरोध में नजरबंद व्यक्तियों द्वारा उनके मताधिकार के उपयोग करने के प्रावधान है।

(ख) निर्वाचन-ड्यूटी स्टाफ से प्राप्त डाक मतपत्र :- राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 46-क के उपनियम (4) में निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त स्टाफ को डाक मतपत्र जारी करने का प्रावधान है।

उक्त बिन्दु संख्या (क) एवं (ख) के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे डाक मतपत्रों की गणना करने की रीति और उनको प्रतिक्षेपित (नामंजूर) करने के संबंध में आयोग द्वारा आदेश क्रमांक एफ1(4)(1)नपा/रानिआ/14/1418 दि. 05.02.2026 तथा आदेश क्रमांक 1451 दि. 06.02.2026 (सां. आ. संख्या 157/2026) जारी किये हुए हैं।

4. उक्तानुसार प्राप्त डाक मतपत्रों में से प्राप्त विधिमान्य मतों की गणना की जानी चाहिए और प्रत्येक अभ्यर्थी का दिये गये मतों को उसके पक्ष में गणना की जाकर प्रत्येक अभ्यर्थी को डाक मतपत्रों के रूप में प्राप्त कुल मतों की गणना की जानी चाहिए और अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए उन्हें सुनाया जाना चाहिये। मशीनों में रिकार्ड किये गये अभ्यर्थीवार मतों में डाक मतपत्रों के रूप में अभ्यर्थीवार वैधमतों को जोड़ कर गणना के परिणाम को प्ररूप 21 में दिये गये परिणाम पत्र में उपयुक्त स्थान पर प्रविष्ट किया जाना चाहिए।

5. तत्पश्चात वार्ड सदस्य के लिए सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी अस्वीकृत मतपत्रों के पृथक-पृथक बण्डल एक साथ पैकेट में रख दिया जाना चाहिए और उस पैकेट को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की मुहर से और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की मुहरों से, जो उस पर लगाना चाहे, मुहरबन्द कर देना चाहिए तथा पहचान के लिए सभी विवरण जैसे नगरपालिका का नाम, वार्ड संख्या, गणना की तारीख और उसमें रखी गई वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित कर दिया जाना चाहिए।

मतदान मशीनों में रिकार्ड किए गए मतों की गणना

12. नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा और निरीक्षण:-

1. वार्ड सदस्यों की मतगणना में जहां एक वार्ड में अधिक मतदान केन्द्र है वहां गणना-टेबल पर नियंत्रण यूनिटों का वितरण मतदान केन्द्रों के क्रमानुसार किया जाना चाहिए, अर्थात् मतदान केन्द्र संख्या एक में प्रयुक्त नियंत्रण यूनिट को गणना टेबल संख्या 1 को दी जानी चाहिए, मतदान केन्द्र संख्या 2 की गणना टेबल संख्या 2 को दी जानी चाहिए, और इसी प्रकार आगे भी दी जानी चाहिए। ऐसे वितरण का लेखा रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपने पास भी रखे और इसका चार्ट मतगणना कक्षाओं के बोर्ड पर भी लगायें।

2. गणना के समय, उस मतदान केन्द्र, जिस पर नियंत्रण यूनिट प्रयुक्त की गयी है, के मतदान परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए मतदान मशीन की केवल नियंत्रण यूनिट ही अपेक्षित है, बैलेट यूनिट अपेक्षित नहीं है। फिर भी, मतदान केन्द्रों से प्राप्त बैलेट यूनिटें संग्रहण केन्द्र पर वार्डवार और मतदान केन्द्रवार नियंत्रण यूनिटों के साथ रखी जानी चाहिए, बैलेट यूनिट को गणना हाल में केवल तब ही ले जाया जाना चाहिए जब किसी भी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की मांग पर या अन्यथा किसी भी विशेष मामले

में इसका निरीक्षण आवश्यक हो जाये, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की पोस्ट MK-V मॉडल की ईवीएम में परिणाम की जानकारी के लिए कन्ट्रोल यूनिट के साथ बैलेट यूनिट को कनेक्ट किया जाना आवश्यक है।

3. किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की गयी नियंत्रण यूनिट के साथ प्ररूप 14-ग में अभिलिखित उस मतदान केन्द्र से संबंधित मतों का सुसंगत लेखा भी गणना-टेबल पर दिया जाना चाहिए।

13. नियंत्रण यूनिटों के कैरिंग बक्सों का खोला जाना:-

1. पीठासीन अधिकारियों द्वारा, नियंत्रण यूनिटें मतदान केन्द्रों से उनके कैरिंग बक्सों में सम्यक रूप से रखी हुई और सीलबंद रूप से प्राप्त होंगी।
2. प्रत्येक कैरिंग बॉक्स ज्योंही गणना टेबल पर लाया जाये उस पर मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी के द्वारा लगायी गयी सील की जांच की जाये। यदि किसी कैरिंग बक्से की सील किसी मामले में अविकल (Intact) न भी पायी जाये तो भी उसमें रखी गयी नियंत्रण यूनिट में कोई भी गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है, यदि उस यूनिट पर लगी हुई सील और विशेषतः उस पर लगी स्ट्रिप सील व पिंक पेपर सील अविकल (Intact) हो।
3. कैरिंग बक्सों की सीले हटा दें। नियंत्रण यूनिट को बाहर निकाल लें और उसे गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के समक्ष उस पर लगी स्ट्रीप सील, स्पेशल टैग व पिंक पेपर सीलों के निरीक्षण और जांच के लिए गणना टेबल पर रख दें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की MK-V मॉडल की ईवीएम के संबंध में बैलेट यूनिट के लिए भी यही प्रक्रिया रहेगी।

14. नियंत्रण यूनिट पर लगी सीलों और पहचान चिन्हों की जांच:-

प्रत्येक नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या की जांच कर लें और अपना इस बारे में समाधान कर लें कि यह वही नियंत्रण यूनिट है, जो आपके द्वारा पीठासीन अधिकारी को उस मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी तथा नियंत्रण यूनिट के कण्डीडेट सैट सैक्शन की सील वही है जो आपके द्वारा उस मतदान केन्द्र को मशीन दिये जाने के पूर्व लगायी गयी हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मतदान केन्द्र पर स्ट्रिप सील लगायी गई है और स्पेशल टैग पर सील लगायी गयी है। यदि इन सीलों में से कोई सील क्षतिग्रस्त हो तब भी नियंत्रण यूनिट में कोई भी गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है, बशर्ते परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर पर लगायी गई पिंक पेपर सील अविकल (Intact) हो।

15. नियंत्रण यूनिटों पर सीलों का निरीक्षण:-

किसी भी कन्ट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतों की गणना किये जाने से पूर्व, गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन या उनके गणन अभिकर्ताओं को ऐसी पेपर सीलें और अन्य ऐसी महत्वपूर्ण सीलें, जो कैरिंग बक्सों और नियंत्रण यूनिट पर लगायी गयी हो, का निरीक्षण करने दिया जाए और उन्हें स्वयं का समाधान करने दिया जायेगा कि सीले अविकल (intact) है। आप स्वयं का भी समाधान करेंगे कि किसी भी मतदान मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गयी है। यदि आपका समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ी की गयी है, तो आप उस मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं करेंगे और इन निर्देशों के अन्तिम भाग में वर्णित बिन्दु **गणना के स्थगन** के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का, जो भी उस मतदान केन्द्र के संबंध में लागू होती हो, जहां कि वह मशीन प्रयुक्त की गई थी, अनुसरण करेंगे।

16. पेपर सील के क्रम संख्यांक का मिलान:-

1. परिणाम अनुभाग के बाहरी कवर को खोलने पर आपको पीठासीन अधिकारी की सील से सीलबंद किया हुआ भीतरी कवर दिखायी देगा। उक्त सील की भी जांच कर लें। यदि मुहर क्षतिग्रस्त भी हो तो भी, नियंत्रण यूनिट में कोई भी गड़बड़ होने की संभावना नहीं है बशर्ते कि पिंक पेपर सील अविकल (intact) हो और उससे छेड़छाड़ नहीं की गई हो। परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर में दो पेपर सील होगी। पेपर सील पर क्रम संख्यांक का उस क्रम संख्या से मिलान कर लिया जाना चाहिए जो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्ररूप 14 ग के भाग I में मद सं. 9 पर तैयार किये गये पेपर सील लेखा में दी गयी हो। गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को या उनके अभिकर्ताओं को भी पेपर सील के ऐसे क्रम संख्यांक का मिलान करने दें।
2. यदि नियंत्रण यूनिट में प्रयुक्त पेपर सील के क्रम संख्यांक का पेपर-सील लेखे में पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा दर्शित क्रम संख्यांक से मिलना नहीं होता है तो, फिर यह हो सकता है कि पेपर सील लेखे में कोई भूल हो या प्रथम दृष्टया यह इस सन्देह का कारण होगा कि मतदान मशीन से छेड़छाड़ की गयी है। इस प्रश्न का विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा लौटायी गयी अप्रयुक्त पेपर सीलों के क्रम संख्याकों की और मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा की गयी शिकायतों और अन्य सुसंगत परिस्थितियों की जांच करके करें। यदि आप इसे लिपिकीय भूल का मामला पाये, तो उस असंगति को नजर अन्दाज कर दें।

17. गड़बड़ी पाये जाने पर नियंत्रण यूनिटों को अलग रखा जाना:-

यदि आपका समाधान हो जाये कि मतदान मशीन में गड़बड़ की गयी है, या मतदान मशीन वह नहीं है जो मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी, तो मशीन को अलग रख दिया जाये और उसमें रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं की जाये। आपको ऐसे मामले की रिपोर्ट आयोग को करनी चाहिए। समूची गणना को स्थगित करना आवश्यक नहीं है।

18. परिणाम सुनिश्चित करना:-

1. मतों की गणना के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए :-
 - (i.) पीछे के कम्पार्टमेन्ट में लगे हुए पावर स्विच को दबाकर ऑन स्थिति में लाये और नियंत्रण यूनिट को ऑन करें। नियंत्रण यूनिट को ऑन करने पर प्रदर्शन अनुभाग में हरी बत्ती चमकने लगेगी।
 - (ii.) परिणाम-अनुभाग के भीतरी कवर के उपरी छिद्र के नीचे लगे परिणाम बटन के उपर पेपर-सील को निकाल दे।
 - (iii.) 'Result-1' बटन को दबा दे।
 - (iv.) 'Result-1' बटन को इस प्रकार दबाये जाने से, मतदान केन्द्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) के पक्ष में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या नियंत्रण यूनिट के पैनल में एक-एक कर स्वतः ही प्रदर्शित हो जायेगी।
 - (v.) उपर्युक्त परिणाम को प्ररूप 14-ग मतगणना का परिणाम के भाग II में यथादर्शित अभ्यर्थीवार नोट कर लें तथा नोटा (इनमें से कोई नहीं) को प्राप्त मतों को इसके लिए निर्धारित कॉलम में अंकित कर लें।
2. यदि आवश्यक हो, अभ्यर्थियों और/उनके अभिकर्ताओं को उपर्युक्त परिणाम नोट करने देने के लिए 'Result-1' बटन को फिर से दबायें।
3. परिणाम के नोट कर लिये जाने के पश्चात् परिणाम-अनुभाग के कवर को बन्द कर दें और नियंत्रण यूनिट को "स्विच ऑफ" कर दें।

4. अपग्रेडेड पोस्ट 2006 MK-V, M3A की EVM के संबंध में नियन्त्रण यूनिट में परिणाम निर्धारित करने के लिए उससे संबंधित बैलेट यूनिट को नियन्त्रण यूनिट से जोड़ना होगा। शेष प्रक्रिया यथावत रहेगी।

19. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट (MPMV) ईवीएम से निर्वाचन होने की स्थिति में मतगणना करने हेतु निर्देश—

नगरीय निकायों के चुनाव में MPSV/MPMV मशीनों का उपयोग एक पद एवं एक ही वोट के लिए होगा। ऐसी स्थिति में अन्य मशीनों जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की M3A एवं MK-V की भांति ही ये मशीनें उपयोग में ली जावेगी। MPSV/MPMV मशीनों से परिणाम ज्ञात करने के लिए केवल CU की आवश्यकता होगी।

20. प्ररूप 14—ग भाग—II (गणना का परिणाम) का पूरा किया जाना :—

1. ज्योंही प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा द्वारा प्राप्त मत नियंत्रण यूनिट के प्रदर्शन पैनलों पर दिखाये जायें, वैसे ही गणना पर्यवेक्षक को ऐसे मतों की संख्या को प्ररूप 14 ग के भाग—II में प्रत्येक अभ्यर्थीवार एवं नोटा के लिए पृथक—पृथक गणना का परिणाम में अभिलिखित कर लेना चाहिए। गणना पर्यवेक्षक को यह भी मिलान कर लेना चाहिए कि उक्त प्ररूप 14 ग के भाग—II में यथादर्शित मतों की कुल संख्या उस प्ररूप के भाग—I की मद 5 के सामने दर्शाई गई मतों की कुल संख्या के समान ही हो। उक्त प्ररूप के सही रूप से पूर्ण होने के पश्चात गणना पर्यवेक्षकों को इस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। उस गणना—टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर उक्त प्ररूप 14—ग पर करवाने चाहिए।

2. गणना पर्यवेक्षक द्वारा प्ररूप 14—ग के भाग—II को सम्यक् रूप से भरे जाने और हस्ताक्षर किये जाने और उस पर अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये जाने के पश्चात् उसे उस प्ररूप को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंप देना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी, स्वयं का यह समाधान कर लेने के पश्चात कि प्ररूप समुचित ढंग से भरा और सभी प्रकार से पूर्ण किया गया है, स्वयं भी हस्ताक्षर करेगा। ऐसे हस्ताक्षरित किये हुये उक्त प्ररूप को अन्तिम परिणाम पत्र (प्ररूप—21) तैयार कर रहे अधिकारी को सौंप देना चाहिए।

21. अंतिम परिणाम पत्र की तैयारी :—

1. अंतिम परिणाम पत्र (प्ररूप—21) की पूर्ति मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की गणना तथा डाक मतपत्रों की गणना के पश्चात की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी को मशीनों में रिकार्ड किये गये नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित अभ्यर्थीवार मतों व डाक मतपत्रों में पाये गये अभ्यर्थीवार नोटा (इनमें से कोई नहीं) सहित विधि मान्य मतों को जोड़कर प्ररूप—21 की पूर्ति की जायेगी।
2. यदि राज्य निर्वाचन आयोग ने किसी भी मतदान केन्द्र में किसी पुनर्मतदान का निर्देश दिया है तो परिणाम पत्र में पुनर्मतदान के सम्बन्ध में ही गणना के परिणाम को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल योग तब तक नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि परिणाम पत्र में ऐसे पुनर्मतदान के सम्बन्ध में गणना का परिणाम सम्मिलित नहीं कर लिया गया हो।
3. कुल योग की सत्यता की जांच कर लेवें क्योंकि योग में किसी भी तरह का अन्तर मतदान के परिणाम को और परिणाम की घोषणा को, जो कि इस प्ररूप के आधार पर

की जानी है, तात्विक रूप से प्रभावित करेगा। उस प्ररूप के किसी भी फर्क को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा और कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही का कारण बनेगा।

22. पुनर्गणना:-

1. सामान्यतया मतदान मशीन द्वारा रिकार्ड किया गया प्रत्येक मत एक विधि मान्य मत है और उसकी विधिमान्यता के विषय में या अन्यथा कोई विवाद नहीं उठेगा। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता किसी विशेष मतदान केन्द्र पर उस समय मतदान के परिणाम को सम्यक् रूप में लिख नहीं पाये हों, जब नियंत्रण यूनिट में वह सूचना दिखायी गयी थी। यदि पुनर्सत्यापन की आवश्यकता उत्पन्न हो, तो ऐसा परिणाम-बटन को दबाकर किया जा सकेगा, जिस पर उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम नियंत्रण यूनिट के उस प्रदर्शन पैनलों पर पुनः दिखायी देगा।
2. मतदान मशीनों के उपयोग से पुनर्गणना की आवश्यकता के पूर्णतया निवारण हो जाने पर भी नियम 67 के अन्तर्विष्ट पुनर्गणना से संबंधित उपबंध अब भी लागू होते हैं। तदनुसार जब गणना पूरी हो जाये और प्ररूप 21 में अंतिम परिणाम-पत्र तैयार कर लिया जाये, तब आपको अन्तिम परिणाम पत्र में यथा प्रविष्ट प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या घोषित कर देनी चाहिए और आपको कार्यवाही एक या दो मिनट के लिए रोक देनी चाहिए। यदि इस कालावधि के दौरान कोई भी अभ्यर्थी, या उसकी अनुपस्थिति में उसका कोई निर्वाचन/गणन अभिकर्ता पुनर्गणना की मांग करता है तो आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनको पुनर्गणना के लिए लिखित आवेदन देने में कितना समय लगेगा। यदि आपके विचार में मांगा गया समय उचित है तो आप उसकी अनुमति दें और इसे घोषित भी करें।
3. यदि पुनर्गणना के लिए नियम 67 में कोई आवेदन पत्र दिया जाता है तो आपको उसमें बताये गये आधारों पर विचार करना चाहिए और उस मामले में अपना निर्णय देना चाहिए। आपका निर्णय अन्तिम होगा, किन्तु आपको प्रत्येक मामले में अपने निर्णय के कारणों को संक्षेप में अभिलिखित कर देना चाहिए।
4. यदि आप किसी मामले में पुनर्गणना के लिए किसी आवेदन पत्र को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करते हैं तो आपको अपने निर्णय के अनुसार मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की गणना पुनः करा लेनी चाहिए। डाक मतपत्रों की भी, यदि आप ऐसा निर्णय लें, गणना पुनः शुरू की जायेगी, पुनर्गणना के पश्चात् आपको परिणाम पत्र को आवश्यकतानुसार संशोधित कर लेना चाहिए। आपके द्वारा इस प्रकार किये गये संशोधनों, यदि कोई हो, की घोषणा करें। प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा (इनमें से कोई नहीं) द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या की घोषणा करने के बाद परिणाम पत्र को पूरा कर लें और उस पर हस्ताक्षर कर दें। यहां यह उल्लेखनीय है कि नोटा (इनमें से कोई नहीं) को प्राप्त मतों से परिणाम प्रभावित नहीं होगा अपितु सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी ही निर्वाचित घोषित किया जायेगा।
5. नियम 67 के अधीन किसी अभ्यर्थी द्वारा मतों की मांग करने के अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि किसी अभ्यर्थी के कहने मात्र से ही पुनर्गणना की मांग स्वीकार की जा सकती है। पुनर्गणना की मांग करने वाले पक्ष को यह सिद्ध करना आवश्यक होगा, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो कि मतों की विवरणी ठीक नहीं है और न्याय के हित में पुनर्गणना आवश्यक है।

6. आपके द्वारा परिणाम पत्र को पूर्ण कर दिये जाने और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को पुनर्गणना की मांग करने का अधिकार नहीं है। परिणाम पत्र को पूरा कर लेने और उस पर अपने हस्ताक्षर कर देने के बाद मतों की पुनर्गणना की किसी भी मांग को आप अस्वीकार कर दें।

23. गणना का स्थगन:-

1. यदि आपको किसी अपरिहार्य कारण से गणना को उसके पूर्ण होने से पूर्व ही निलंबित या स्थगित करना पड़े तो सभी मतदान मशीनों और निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागज पत्रों को सीलबंद कर दें। प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता यदि प्रत्येक मतदान मशीन और पैकेट आदि, जिनमें निर्वाचन के कागजात पत्र रखे हुए हो, पर अपनी सील लगाना चाहे तो आप उसे ऐसा करने की अनुमति दें।
2. सभी सीलबंद मतदान मशीनों और पैकेट आदि एक पृथक कमरे में रखे जायें और कमरे को आपकी सील और अभ्यर्थियों की सील से सीलबंद और सुरक्षित कर लें। विकल्प के तौर पर ऐसे कमरों पर आपके तालों के साथ-साथ अभ्यर्थी भी अपने ताले लगा सकते हैं।

24. गणना के पूर्ण होने के पूर्व मतदान मशीन के विनष्ट हो जाने, उसको हानि पहुंचाये जाने आदि की दशा में अनुसरण की जानी वाली प्रक्रिया:-

नियम 55 के अन्तर्गत आयोग सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मतों की गणना रोक दिये जाने का निर्देश देने और यदि आवश्यक हो तो नवीन मतदान कराये जाने का आदेश देने के लिए सक्षम है। यदि मतों की गणना के पूर्ण होने के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यह रिपोर्ट की जाये कि किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की गयी मतदान मशीन:-

- (i.) उसके पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरुद्ध निकाली ली गयी है, या
- (ii.) घटनावश या साशय विनष्ट हो गयी है या कर दी गयी है या खो गयी है या खो दी गयी है, या
- (iii.) उसको उस सीमा तक नुकसान पहुंचाया गया है या उसमें गड़बड़ी कर दी गयी है कि उस मतदान केन्द्र के मतदान के परिणाम को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता। या
- (iv.) वोटिंग मशीन में मतदान या मतगणना के दौरान तकनीकी खराबी आ गयी हो, या
- (v.) मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया दूषित हो गयी हो, या
- (vi.) बूथ कैचरिंग के कारण मतदान केन्द्र का परिणाम विनिश्चित नहीं किया जा सकता हो,
तो आपको ऐसे सभी तथ्यों की रिपोर्ट आयोग को तुरन्त भिजवानी चाहिए और उस मतदान केन्द्र के मतों की गणना के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

25. पुनः मतदान के पश्चात गणना:-

यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान पुनः करवाया गया है तो उस मतदान में रिकार्ड किये गये मतों की गणना के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करना चाहिए और इसकी लिखित सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को देनी चाहिए। आपको इस गणना में भी उपर बतायी गयी विस्तृत कार्यविधि का ही, जहां तक कि वह लागू हो, पालन करना चाहिए।

26. परिणामों की घोषणा:-

मतों की गणना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी सदस्यों के परिणामों के लिए प्ररूप-21 में विवरण तैयार करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया है तो परिणाम घोषित किये जायेंगे। उस अभ्यर्थी, जिसे अधिकतम संख्या में विधिमान्य मत प्राप्त हुये हैं, को निर्वाचित घोषित किया जायेगा। यदि मतों की गणना के पश्चात् किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच में मतों की समानता पायी जाए और केवल एक मत को जोड़ने से ही अभ्यर्थियों में से किसी को भी निर्वाचित घोषित किये जाने का हक मिलता है, तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तत्काल लॉटरी निकाले जाने की कार्यवाही करेगा तथा इसका कार्यवाही विवरण बनाया जावेगा, जिस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर, यदि वे करें तो कराये जायेंगे। कार्यवाही विवरण को अन्य कागजात के साथ पृथक लिफाफे में रख कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। अंतिम परिणाम-पत्र (प्ररूप-21) एवं परिणाम की घोषणा (प्ररूप-22) में ऐसे अभ्यर्थियों जिनके पक्ष में लॉट निकला है, के सामने डाले गये मतों के आगे यथानुकूल प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी। लॉटरी निकाले जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

27. निर्वाचन का प्रमाण-पत्र

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किये गये सदस्यों को प्ररूप-23 में निर्वाचन का प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा। निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण-पत्र देने पर ऐसे अभ्यर्थी से रसीद भी प्राप्त की जावे और उसके विधिवत हस्ताक्षर भी लिए जावे। ऐसी प्राप्ति रसीद एवं परिणाम संबंधित दस्तावेज राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावे।

28. निर्वाचन के परिणाम के बाद तैयार किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

1. अंतिम परिणाम-पत्र (प्ररूप-21)
 2. परिणाम की घोषणा (प्ररूप-22)
 3. निर्वाचन का प्रमाण पत्र (प्ररूप-23)
 4. रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रमाणित निर्वाचन का प्रमाण-पत्र (प्ररूप-23) की प्राप्ति रसीद।
- उपरोक्त कागजातों पर रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए एवं हस्ताक्षर के नीचे नाम, तारीख एवं स्थान अंकित होना चाहिए एवं रिटर्निंग अधिकारी की मोहर भी स्पष्टतः लगी हुई होनी चाहिए। उक्त बिन्दु में अंकित दस्तावेज आयोग को प्रेषित करने के संबंध में निर्देश आदेश क्रमांक 1374 दिनांक 04.02.2026 (सांविधिक आदेश 155/2026) के द्वारा जारी किए हुए हैं।

29. गणना के पश्चात मतदान मशीनों को पुनः सीलबंद करना:-

1. किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतदान के अभ्यर्थीवार परिणाम अभिनिश्चित कर लिये जाने और प्ररूप 14-ग के भाग-II "गणना का परिणाम" में और प्ररूप 21 में अंतिम परिणाम-पत्र में प्रविष्ट कर दिये जाने के पश्चात, नियंत्रण यूनिट को नियम 63-ख के अधीन रिटर्निंग अधिकारी की सील से और ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/गणन अभिकर्ताओं, जो उस पर अपनी सील लगाना चाहें, की सीलों से पुनः सीलबंद किया जाना चाहिए। तथापि, पुनः सीलबंद ऐसी रीति से किया जाना चाहिए कि नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान का परिणाम मिट नहीं जाये और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति को बनाये रख सके।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम/मल्टी पोस्ट मल्टी वोट ईवीएम को सील नहीं किया जाना है। इन मशीनों में प्रयुक्त किए गए सिक्योर डिचेबल मेमोरी मॉड्यूल

(SDMM) एवं डिचेबल मेमोरी मॉड्यूल (DMM) को ही सील किया जाएगा। एसडीएमएम को सील करने के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 705 दिनांक 20.01.2026 एवं डीएमएम को सील करने के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 826 दिनांक 23.01.2026 के द्वारा दिशा-निर्देश प्रदान किए हुए हैं। एसडीएमएम को सील करने के पश्चात् उक्त मल्टीपोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम को तथा डीएमएम (DMM) को सील करने के पश्चात् उक्त मल्टीपोस्ट मल्टी वोट (MPMV) ईवीएम को आगामी मतदान के लिए क्रमशः नवीन एसडीएमएम (SDMM) एवं नवीन डीएमएम (DMM) प्रयुक्त कर पुनः उपयोग में लिया जा सकेगा।

2. नियंत्रण यूनिट को पूर्वोक्त रूप में पुनः सील बंद निम्नलिखित रीति से किया जाना चाहिए:-

- (i) सील को हटाकर नियंत्रण यूनिट के कैंडिडेट सैट सेक्शन की बैटरी को हटा दें। बैटरी को हटाये जाने के बाद में कैंडिडेट सेक्शन का कवर पुनः सीलबंद किया जाना चाहिए।
कृपया ध्यान दीजिये:- बैटरी का हटाया जाना आवश्यक है जिससे कि यह समय बीतने के साथ-साथ फूल नहीं जाये और मशीन को क्षति नहीं पहुँचे। तथापि, बैटरी को हटाये जाने से नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान का परिणाम मिटता नहीं है, क्योंकि नियंत्रण यूनिट अपनी स्मृति को बनाये रखेगी, चाहे बैटरी हटा दी जाये।
- (ii) परिणाम-सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द कर दें और इसे पुनः सीलबंद कर दें।
- (iii) इस प्रकार पुनः सीलबंद की गयी नियंत्रण यूनिट को उसके कैरिंग बक्से में रखें।
- (iv) कैरिंग बक्से को पुनः सीलबंद कर दें।
- (v) कैरिंग बक्से के हैंडल पर एड्रेस टैग को दृढ़तापूर्वक लगा दें, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो:-
 - (क) नगरपालिका का नाम
 - (ख) वार्ड संख्या
 - (ग) उस मतदान केन्द्र का विवरण जहां नियंत्रण यूनिट प्रयुक्त की गयी है
 - (घ) नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या
 - (ङ) मतदान की तारीख
 - (च) गणना की तारीख
- (vi) आप अपनी सील के साथ-साथ अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसा चाहे, उनकी सीलें लगाने की अनुमति दें।

3. इस प्रकार पुनः सीलबंद की गई नियंत्रण यूनिटों को सुरक्षित भण्डारण के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये बड़े बक्सों में रखा जाना चाहिए।
4. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की MK-V मॉडल की EVM के मतदान यूनिटों के अतिरिक्त अन्य मतदान यूनिटों को साधारणतया, गणना के समय खोले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी मतदान यूनिट को निरीक्षण या गणना के समय सत्यापन के लिए इसके कैरिंग बक्से से बाहर निकाला जाता है तो इसे ऐसे निरीक्षण या सत्यापन के पश्चात् इसके कैरिंग बक्से में वापस रखकर सीलबंद कर दिया जाना चाहिए।
5. सुरक्षित भण्डारण के लिए मतदान यूनिटों को भी विशेष रूप से तैयार किये गये बड़े बक्सों में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार निर्वाचन में प्रयुक्त सभी नियंत्रण यूनिटें ओर मतदान यूनिटें भंडारण स्थल पर ले जाये जाने के लिए तैयार की जावे।

30. सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य निर्वाचन कागज पत्रों को सील बंद करना :-

1. मतदान मशीनों के अतिरिक्त कई अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन संबंधी कागजात हैं, जिनका सीलबंद किया जाना और सुरक्षित किया जाना तथा भंडारण किया जाना अपेक्षित है। नियम 74-क के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट निर्वाचन संबंधी कागजपत्रों के पैकेट किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो खोले जायेंगे और न उनकी अर्न्तवस्तु का निरीक्षण किया जायेगा और न ही वे वस्तुएँ उसके समक्ष पेश की जायेगी। इस प्रकार इन कागज पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। जहां मतदान मशीनें प्रयुक्त की गयी हैं, वहां ये कागजपत्र निम्नलिखित हैं:-
 - (i) प्ररूप 14-क में मतदाता रजिस्ट्रों के पैकेट,
 - (ii) अप्रयुक्त डाक मतपत्रों के उनसे संलग्न प्रतिपणों के साथ पैकेट,
 - (iii) प्रयुक्त डाक मतपत्रों के, चाहे वे विधिमान्य हो या प्रतिक्षेपित, पैकेट (उन पैकेटों को सम्मिलित करते हुए जिनमें विलम्ब से प्राप्त डाक मतपत्र वाले लिफाफे भी हैं),
 - (iv) प्रयुक्त डाक मतपत्रों के प्रतिपणों के पैकेट,
 - (v) प्रयुक्त और अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकेट,
 - (vi) अप्रयुक्त (अधिशेष) मतपत्रों (मतदान यूनिटों पर प्रदर्शित करने के लिए और निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग करने के लिए मुद्रित) के पैकेट,
 - (vii) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों के पैकेट, और
 - (viii) निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकेट।
2. उपर्युक्त मद (iii) और (viii) पर बताये गये कागज पत्रों के पैकेट गणना के समय ही बना लिए जायेंगे और ऐसे पैकेट आपके द्वारा मतों की गणना की समाप्ति के तुरन्त पश्चात आपकी सील से सीलबन्द कर दिये जायेंगे। यह सील उन सीलों के, यदि कोई हो, अतिरिक्त होगी जो इन पैकेटों पर किन्हीं अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन या गणन अभिकर्ताओं, जो उन पर अपनी सील लगाना चाहें, द्वारा लगायी जायेगी। आपको वहां उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं को बता देना चाहिए कि इन पैकेटों पर वे अपनी सील अवश्य लगायें और ऐसा करना उनके अपने ही हित में है ताकि किसी पैकेट में कोई गड़बड़ी न की जा सके।
3. ऊपर पैरा 1 की मद संख्या (i), (v) और (vii) में बताये गये कागजपत्रों के सभी पैकेट मतदान केन्द्रों के पीठासीन अधिकारियों से सम्यक रूप से सीलबन्द पैकेटों में प्राप्त किये जायेंगे। चूंकि मतगणना के समय इन पैकेटों की किसी प्रयोजन के लिए आवश्यकता नहीं होती है, अतः इनमें से प्रत्येक को निर्वाचन कागजपत्र प्राप्त करने के स्थान पर प्राप्त करने के तुरन्त बाद सीलबंद कर दिया जाना चाहिये और लोहे के संदूक में रख दिया जाना चाहिये।
4. इन पैकेटों को वस्तुतः सीलबंद करने के कार्य के पर्यवेक्षण के लिए आपको एक उत्तरदायी प्रभारी अधिकारी लगाना चाहिए अन्यथा, निर्वाचन के महत्वपूर्ण कागजपत्रों के इधर-उधर हो जाने की संभावना है, जिसका परिणाम यह होगा कि जब कोई सक्षम न्यायालय इन कागजपत्रों को पेश करने का आदेश देगा, तब जटिलतायें और गड़बड़ी पैदा हो जायेगी।

5. लोहे के प्रत्येक संदूक में दो ताले लगाये जाये और प्रत्येक ताला सीलबंद कर दिया जाये।

31. कार्यवाहियों का लेखबद्ध किया जाना:-

1. मतों की गणना के पश्चात गणना स्थल पर ही मतदान मशीनों और निर्वाचन के कागजपत्रों को सीलबंद कर दिये जाने के पश्चात आपको निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए कार्यवाही लेखबद्ध करनी चाहिए—
 - (i.) गणना हॉल में उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं का पूर्ण विवरण,
 - (ii.) यह तथ्य कि उनसे मतदान मशीनों और निर्वाचन के पैकेटों पर, यदि वे ऐसा चाहे, अपनी सीलें लगाने को कहा गया था, और
 - (iii.) उन व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने मतदान मशीनों और पैकेटों पर अपनी सीलें लगायी थी और उन व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था।
2. तब आपको कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करने चाहिए और उस पर ऐसे अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं के जो उपस्थित हो और हस्ताक्षर करना चाहें, हस्ताक्षर करवाने चाहिये। कार्यवाहियों को एक लिफाफे में रखा जाना चाहिए और सीलबंद किया जाना चाहिये। सीलबंद लिफाफे को निर्वाचन के कागजपत्रों के पैकेटों के साथ रखा जाना चाहिए।

32. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा:-

1. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दिये जाने के पश्चात तुरन्त उसी दिन समस्त मतदान मशीनों और उपर्युक्त उल्लेखित पैकेटों को अन्तर्विष्ट करने वाले सीलबंद संदूक को सरकारी कोषागार/उपकोषागार या इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए स्थान में दो तालों के अन्दर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। प्रत्येक संदूक के ताले की चाबी कोषागार अधिकारी को या कोषागार संहिता के अधीन प्राधिकृत कोषागार/उपकोषागार के किसी अन्य अधिकारी के सुपुर्द कर दी जानी चाहिए और प्रत्येक संदूक के दूसरे ताले की चाबी स्वयं निर्वाचन अधिकारी द्वारा या निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने पास रखी जानी चाहिए।
2. मतों की गणना आरंभ होने से पूर्व जिस कमरे में ये संदूक रखे जाते हैं, उस कमरे के बाहर तैनात सशस्त्र पुलिस रक्षक दल को गणना की समाप्ति हो जाने के पश्चात ही हटा नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि मतदान मशीनों और निर्वाचन अभिलेख कोषागार/उपकोषागार या इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए स्थान को भेज नहीं दिये जाते। जहां तक संभव हो, उसी रक्षक दल को इन कागज पत्रों के परिवहन के दौरान भी उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना चाहिए। इस तथ्य का उस रक्षक दल द्वारा रखी जाने वाली लॉग बुक में उल्लेख कर दिया जाना चाहिए।

नोट:- यह भी ध्यान रहे कि मतगणना कार्य उसी दिन पूर्ण किया जाना है। मतगणना कार्य के बाद परिणामों की घोषणा के पश्चात् निर्वाचित सदस्यों को उसी दिन शपथ दिलवा दें, ताकि महापौर/सभापति/अध्यक्ष के चुनाव में सदस्यों द्वारा भाग लिया जा सके।

भवदीय

9/3/26
(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक :- 09.03.2026

क्रमांक: एफ. 1(4)(1) नपा/रानिआ/14/2293-2298

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
4. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को समस्त संबंधितों को ई-मेल करवाने, राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
6. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।

8
09.03.2026

(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव